26/5/26	पत्रावली पेश की। अधिवक्ता वादि/ वादी स्वयं हाजिर वाद पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अधिवक्ता वादी इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया वाद पत्र चुंकि वादी स्वयं आगे नहीं चलाना चाहता है इस लिये इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसला होकर दाखिल दफ्तर हो।	NOT Press वादी सामरान (अर्द) = 11:42 AM 26.05.26